छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग–दो

सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 22, 1948)

मानानीय राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक की सूचना

"छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)" माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26/05/2026 को संदेश के साथ लौटाया गया है। संदेश इस प्रकार है :–

छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा "छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)" पारित कर संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत अनुमति एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रपति जी के विचार हेतु आरक्षित किया गया था।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्र कमांक F.No.17/62/2017-Judl.&PP, दिनांक 19.03.2026 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय को प्राप्त हुआ है, कि विधेयक की तीन प्रमाणिक प्रतियां राज्य सरकार द्वारा वापस लिये जाने के कारण एतद्द्वारा मूलतः वापस की जा रही है।

अतः विधेयक पर पुनर्विचार हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार "छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)" लौटाया जाता है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा